

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला
भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 697 / 2012

संस्थापन दिनांक 05.09.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बजरंग पुत्र सुरेश खटीक उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम
ऐन्हों थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 341, 323, 506 भाग दो भा.द. स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.07.12 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम ऐन्हों झारी कोरी का चबूतरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर नरोत्तम को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा नरोत्तम का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा नरोत्तम की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा नरोत्तम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.12 को दिन के 12 जब फरियादी नरोत्तम हैंडपम्प सुधरवाने के लिए मोहल्ले में चन्दा कर रहा था तब झारी कोरी के चबूतरा के पास आरोपी बजरंग आया तथा अश्लील गाली देकर उसने नरोत्तम के सिर में लाठी मारी जो नरोत्तम के सिर में लगी जब नरोत्तम भागने लगा तो आरोपी ने नरोत्तम का रास्ता रोककर लात घूंसा से नरोत्तम की मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अब यदि वह उसके खेत पर आया तो जान से खत्म कर देगा तब गांव के लज्जाराम अ0सा01 व सुरेन्द्र अ0सा03 ने आकर बीच बचाव कराया। तत्पश्चात फरियादी नरोत्तमसिंह ने आरोपी के विरुद्ध थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई

जिस पर से अप0क्र0 66/12 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-
 1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.07.12 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम ऐन्हों झारी कोरी का चबूतरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर नरोत्तम को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर नरोत्तम का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर नरोत्तम की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 4. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर नरोत्तम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का सकारण निष्कर्ष //

5. लज्जाराम अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपी व फरियादी नरोत्तम को जानता है। दिनांक 27.06.16 से 2-3 वर्ष पूर्व उसने नरोत्तम के सिर से खून निकलते देखा था बाद में पता चला था कि उसका बजरंग से मुहवाद हुआ था लेकिन उसने स्वयं कोई झगड़ा नहीं देखा था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि गांव का हैंडपम्प खराब हो जाने पर वह लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे तब बजरंग ने नरोत्तम के सिर में लाठी मार दी थी और हाथ में लकड़ी का टूसा दिया था और गाली गलौच की थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. साक्षी सुरेन्द्र अ0सा03 ने कथन किया है कि वह नरोत्तम व बजरंग को जानता है। लेकिन उसके समक्ष कोई घटना नहीं हुई और ना ही उसे घटना की जानकारी है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 20.07.12 को आरोपी ने नरोत्तम को गालियां दीं और मारपीट की तथा रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा02 ने कथन किया है कि वह दिनांक 20.07.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना एण्डोरी के आरक्षक लालताप्रसाद नं0 142 द्वारा लाये जाने पर आहत नरोत्तम पुत्र जगदीश का परीक्षण करने पर सिर में 6गुणा0.3गुणा0.2 से.मी. का फटा हुआ घाव था जो कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना

संभव था तथा साधारण प्रकृति का होकर परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर का था। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. सुरेन्द्र अ0सा03 ने अभियोजन मामले का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है लज्जाराम अ0सा01 ने स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होने से इंकार किया है और अभियोजन मामले के विपरीत स्वयं के समक्ष आरोपी द्वारा घटना कारित किए जाने के तथ्य का समर्थन न कर मात्र नरोत्तम का रक्तस्राव देखना बताया है और आरोपी से मुंहवाद होने के संबंध में भी उसे किससे क्या तथ्य ज्ञात हुआ यह भी उसने स्पष्ट नहीं किया है। अतः ना ही उसकी अनुश्रुत साक्ष्य विश्वसनीय है और ना ही धारा 7 साक्ष्य अधिनियम के अधीन उसके कथन सुसंगत हैं। नरोत्तम का पता ज्ञात न होने से अभियोजन उसे साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। चिकित्सक डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा02 ने मात्र विशेषज्ञ साक्ष्य दी है परन्तु मामले को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य आवश्यक होने पर भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर ही निर्भर है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 20.07.12 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम ऐन्हों झारी कोरी का चबूतरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर नरोत्तम को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा नरोत्तम का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा नरोत्तम की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा नरोत्तम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
9. परिणामतः आरोपी को धारा 294, 323, 341, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
10. आरोपी अभिरक्षा में है अतः दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप उसे अभिरक्षा से अभिमुक्त किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0